

**पत्रांक—DHEsec2/संबंधन-27/2020 HTESD 988/
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल्ला, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.**

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा,

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
शिद्धो-कान्हु मुर्मु विश्वविद्यालय, दुमका,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू।

राँची, दिनांक 04.05.2023.

विषय:— बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के छह विश्वविद्यालयों से बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षोपरांत समिति द्वारा अद्यतन Statute के प्रावधान के आलोक में की गयी अनुशंसा के आधार पर कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निम्नांकित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
1.	जी0डी0 बगेडिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
2.	रमेश प्रसाद यादव, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोडरमा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
3.	सुभाष, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलडीह, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
4.	श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रविन्द्र पथ हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
5.	गीट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजधानवार, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
6.	के0एन0 बकसी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
7.	देव कॉलेज, ऑफ एजुकेशन मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
8.	लाला प्रीतम, बी0एड0 कॉलेज, जितनी मोड, चतरा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
9.	गिजली, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुमो, झुमरीतिलैया, कोडरमा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
10.	स्वामी घर्मबंधु, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
11.	डॉ० एस० राधाकृष्णन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सुकरीगढा, लारी, रामगढ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
12.	बी०एन० साहा डी०ए०भी० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिरसिया, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
13.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटोंड, पदेमा, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
14.	दौलत महतो, मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग, कॉलेज, विष्णुगढ, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
15.	एस०बी०एम० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बभनवै, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
16.	गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
17.	रामकृष्ण विवेकानन्द, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत

18.	महर्षि परमहंस, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हुहुवा, रामगढ़ ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
19.	कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लाराबाद, कोडरमा ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
20.	स्कॉलर, बी0एड0 कॉलेज, गिरिडीह ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
21.	झारखण्ड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झुमरीतिलैया, कोडरमा ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
22.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग ।	2023-25	एम0एड0	स्वीकृत
23.	रामशोभा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटूपालू, रामगढ़ ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत

2. शर्तः-

- I. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- II. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- III. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- IV. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घाकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- V. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- VI. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबंधित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।


विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक:-वि0भा0वि0/स्था0/.....525...../2024

दिनांक 21.02. /2024

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित महाविद्यालय सचिव/प्राचार्य के सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।
2. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।


21/02/24
कुलसचिव


21/2/2024